

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in, website:buhs.ac.in

सूचना सं.-संभ.-6019/2023-609

पटना, दिनांक-15/5/2026

आवश्यक सूचना


बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 तथा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधान एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं.-107(1) दिनांक 17.02.2023 एवं पत्रांक-196(1) दिनांक-28.03.2024 के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत ए.एन.एम./जी.एन.एम., डी. फार्म एवं पारामेडिकल/पाराडेंटल डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने वाले सभी गैर-सरकारी नर्सिंग/फार्मसी/पारा-मेडिकल एवं स्वास्थ्य विज्ञान प्रक्षेत्र के अन्य ऐसे महाविद्यालय/संस्थान, जिन्हें सत्र 2023-24 में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से संबद्धता प्राप्त है, को सूचित किया जाता है कि ए.एन.एम./जी.एन.एम., डी. फार्म एवं पारा-मेडिकल/पारा-डेंटल डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता के अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) के लिए एवं सत्र-2024-25 के लिए नयी संबद्धता प्राप्त करने के लिए पूर्व में आवेदन नहीं करने वाले संस्थानों का आवेदन दिनांक-20.05.2026 से दिनांक-29.05.2026 तक विश्वविद्यालय में प्राप्त किया जायेगा।

2. सत्र 2024-25 के लिए ए.एन.एम./जी.एन.एम., डी. फार्म एवं पारा-मेडिकल/पारा-डेंटल डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स की संबद्धता की अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) हेतु आवेदन प्रपत्र की साफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.buhs.ac.in से डाउनलोड की जा सकती है तथा इसे कम्प्यूटर से टंकित कराकर विश्वविद्यालय में सभी अनुलग्नकों एवं निर्धारित शुल्क सहित दिनांक-20.05.2026 से दिनांक-29.05.2026 तक तक जमा किया जा सकता है। प्रत्येक कोर्स हेतु संबंधित संस्थान द्वारा अलग-अलग फार्म भरा जायेगा अर्थात् एक कोर्स के लिए एक फार्म तथा शुल्क तालिका के क्रम संख्या-10, 11 एवं 12 पर अंकित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा। सत्र 2023-24 हेतु औपबधिक संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान, जिन्होंने विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 का सभी प्रकार का शुल्क एवं Edowment Fund का FDR जमा कर दिया है, उनके ही आवेदन पर सत्र 2024-25 के लिए संबद्धता अवधि विस्तार देने पर विचार किया जायेगा।

3. सत्र-2024-25 में ए.एन.एम./जी.एन.एम., डी. फार्म एवं पारा-मेडिकल/पारा-डेंटल डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स की नयी संबद्धता (Fresh Affiliation) हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form) "Bihar University of Health Sciences, Patna-Affiliation Fund" के पक्ष में भुगतये रु. 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (Payable at Patna) जमा कर दिनांक-20.05.2026 से दिनांक-29.05.2026 तक प्राप्त किया जा सकता है तथा दिनांक-29.05.2026 तक भरा हुआ आवेदन पत्र (Application Form) प्रत्येक कोर्स हेतु संबंधित संस्थान द्वारा अलग-अलग फार्म भरकर अर्थात् एक कोर्स हेतु एक फार्म भरकर विश्वविद्यालय में आवश्यक कागजातों एवं शुल्क के साथ जमा किया जा सकता है।

4. इस समयावधि के पश्चात सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता/संबद्धता अवधि विस्तार संबंधी आवेदन करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु संबंधित महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कुलपति के आदेशानुसार


(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना


(2)

ज्ञापांक- संबं-6019/2023-609

पटना, दिनांक-15/05/2026

प्रतिलिपि-सभी संबंधित संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


15/5/26

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना